प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **16-06-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- एक राय होकर जानलेवा हमला करने, जिसमें एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के अभियोग में वांछित 01 ओर आरोपी गिरफ्तार थाना ठाकुरद्वाराः-

अवगत करना है कि दिनांक 13.05.2025 को वादी इन्तखाब आलम पुत्र स्व० मौ० इब्राहीम निवासी ग्राम दूल्हापुर पट्टी थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद ने आरोपीगण द्वारा वादी व वादी के परिजनो पर लाठी-डंडों व धारदार वस्तु से जानलेवा हमला करने के संबंध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार के आधार मु0अ0सं0- 188/2025 धारा- 191(2)/ 191(3)/ 118(1)/ 115(2)/103(1)/351(3) बी0एन0एस0 बनाम यासीन आदि के पंजीकृत किया गया। उक्त घटना में एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने पर विवेचना के क्रम में मुकदमा उक्त में धारा-103(1) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। उक्त क्रम में आज दिनांक 16.06.2025 को थाना ठाकुरद्वारा पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त यासीन पुत्र स्व0 नन्हे निवासी ग्राम दुल्हापुर पट्टी थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0- 188/2025 धारा- 191(2)/ 191(3)/ 118(1)/ 115(2)/103(1)/351(3)/ 103(1) बी0एन0एस0

गिरफ्तार अभियुक्तः-

यासीन पुत्र स्व0 नन्हे निवासी ग्राम दुल्हापुर पट्टी थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1- प्रभारी निरीक्षक जसपाल सिंह थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद
2- उ0नि0 भूपेन्द्र सिहं थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद
3- हे0कां0 नन्द किशोर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद
4- कां0 मागेंराम थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद।

2- थाना कुन्दरकी पुलिस द्वारा हत्या की घटना में नामित/वांछित 01 आरोपी को गिरफ्तार कर, अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू (आला कत्ल) बरामद किया गया।

अवगत कराना है दिनांक 15.06.2025 वादिनी निवासनी थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद ने आरोपीगण संजीव पुत्र होरी लाल व अन्य अज्ञात द्वारा वादिनी के पति गुलाब सिहँ (जो तांत्रिक कार्य करते थे) की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर देने के संबंध में थाना कुन्दरकी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कुन्दरकी पर मु0अ0सं0- 188/2025 धारा- 103(1) बीएनएस बनाम संजीव आदि के पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 16.06.2025 को थाना कुन्दरकी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामित/वांछित अभियुक्त संजीव पुत्र होरी लाल निवासी ग्राम संदलपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। तथा अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू (आला कत्ल) बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0- 188/2025 धारा- 103(1) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तः-

संजीव पुत्र होरी लाल निवासी ग्राम संदलपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद

बरामदगीः-

घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू (आला कत्ल)

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त संजीव उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि गुलाब सिंह जो ग्राम हरियाना का रहने वाला है तथा झाड फूक व तान्त्रिक का काम करता था। मेरी बहन उम्र 19 वर्ष जो बीमार हो गयी थी, हमने डाक्टरो को बहुत दिखाया लेकिन कुछ आराम नही लग रहा था। तब मेरे घरवालो ने मेरी बहन को गुलाब सिंह को दिखाया तो उसने झाड फूक व तांत्रिक क्रिया की जिससे मेरी बहन और ज्यादा बीमार हो गयी तथा जुलाई 2024 मे उसकी मृत्यु हो गयी। मेरी बहन को गुलाब सिंह ने तंत्र क्रिया से मारा था मुझे तथा मेरे परिवार को यह शक था उसके कुछ दिन बाद मेरे पिता होरी लाल बीमार हो गये और उनकी भी हालत बिगडती गयी। तब हमने किसी अन्य तांत्रिक से पता किया तो उसने बताया कि तुम्हारे घर में गुलाब सिंह ने तंत्र बिद्या कर कर रखी है। तथा एक एक करके परिवार के सभी सदस्य इसी तरीके से मरते रहेगें अब तुम्हारे पिता की मृत्यु जल्द ही हो जायेगी। उसके बाद तुम्हारी मां बीमार हो जायेगी तथा उसकी मृत्यु भी ऐसी ही हो जायेगी। मै इस बात से बहुत परेशान तथा तनाव मे था कि गुलाब सिंह ने हमारा घर बर्बाद कर दिया है। इसी गुस्से में मैने अपने 02 साथियो के साथ मिलकर छुरे(चाकू) से गुलाब सिंह की हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार सहरावत थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद
2- उ0नि0 राजनाथ सिंह थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद
3- उ0नि0 गंगन शर्मा थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद
3- हे0कां0 सुखनन्दन थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद
4- कां0 आकाश थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद
5- कां0 उज्जवल कुमार थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद
6- कां0 रोबिन थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद।

3- थाना डिलारी पुलिस द्वारा 01 वारण्टीं को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एंव अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराधों में संलिप्त वांछित/वारण्टीं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 16.06.2025 को थाना डिलारी पुलिस द्वारा वारण्टीं अभियुक्त सूरज सिंह पुत्र रामचन्द्र निवासी काकरखेडा थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद सम्बंधित वाद सं0 2735/21 अ0सं0 231/21धारा 30 आर्म्स को गिरफ्तार कर संबंधित मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार वारण्टीः-

सूरज सिंह पुत्र रामचन्द्र निवासी काकरखेडा थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1- उ0नि0 रविन्द्र कुमार थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद
2- हे0कां0 जय सिंह थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद
3- कां0 देशराज थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद
4- कां0 उत्तम बालियान थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद
5- कां0 विशाल चौधरी थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।

4- थाना मैनाठेर पुलिस द्वारा अपहर्ता/मृतका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अन्य 02 सह-अभियुक्तो को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त वैगनार कार UK 06M 2596 बरामद की गयी।

अवगत कराना है कि दिनांक 31-05-2025 को वादी निवासी थाना मैनाठेर क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में थाना मैनाठेर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0-109/2025 धारा- 87 बीएनएस बनाम केहर सिहँ के पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांक 13-06-2025 को थाना मैनाठेर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त की घटना का खुलासा करते हुये नामित अभियुक्त 1- केहर सिंह व घटना कारित करने में प्रकाश में आये अन्य 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल सुपर स्पेलेन्डर व अभियुक्त केहर सिंह की निशांदेही पर मृतका के शव के कंकाल की हड्डिया, सिर की खोपडी व कपड़े आदि बरामद किया गये। साक्ष्यो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1),238,61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। उपरोक्त क्रम में आज दिनांक 16.06.2025 को थाना मैनाठेर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश आये अभियुक्तगण 1- तारेश कुमार पुत्र रामगोपाल 2- मनीष पुत्र हुकम सिंह निवासीगण टोडी वाजिदपुर उर्फ कासमपुर जट थाना डिडौली जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त वैगनार कार UK 06M 2596 बरामद की गयी। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियोगः-

मु0अ0सं0-109/2025 धारा- 87/103(1),238,61(2) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1- तारेश कुमार पुत्र रामगोपाल निवासी टोडी वाजिदपुर उर्फ कासमपुर जट थाना डिडौली जनपद अमरोहा
2- मनीष पुत्र हुकम सिंह निवासी टोडी वाजिदपुर उर्फ कासमपुर जट थाना डिडौली जनपद अमरोहा।

बरामदगी का विवरणः-

घटना में प्रयुक्त वैगनार कार UK 06M 2596

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1- निरीक्षक अपराध अजय कुमार थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद
2- उ0नि0 जगमाल सिंह थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद
3- हे0कां0 प्रदीप मिश्रा थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद
4- कां0 रवि कुमार थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद
5- हे0कां0 आदेश सिंह थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद
6- कां0 संजीव कुमार थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।

5- जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 12 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय **पुलिस द्वारा 12 व्यक्तियों** को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना गलशहीद-02, थाना सिविल लाईन्स-03, थाना पाकबड़ा-01, थाना छजलैट-01, थाना भोजपुर-01, थाना डिलारी-01, थाना सोनकपुर-01, थाना मैनाठेर-02।